



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में द्विविवाह करने की आरोपी दानिशता व अभियुक्त आसिफ को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष का कारावास व 15,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



ए.पी.ओ. श्रीमती विमलेश



का० प्रशांत कुमार थाना
सिंधावली अहीर कोर्ट
पैरोकार

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्ता दानिशता पुत्री हकीमू निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा अभियुक्त आसिफ पुत्र हसीमुदीन निवासी व थाना धौलाना हापुड़ के साथ द्विविवाह की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंधावली अहीर पर मु030सं0 42/2020 धारा 494/495/323/504/506/420/120वी भाविय पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र० द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.12.2025 को मा० न्यायालय प्रथम श्रेणी, जनपद बागपत द्वारा अभियुक्ता दानिशता व आसिफ को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 04.12.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 772/25 धारा 191(2)/191(3)/105/110 /352/3(5) बी.एन.एस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

02.12.2025 को थाना बड़ौत पर वादी मोनिस उर्फ उवेश पुत्र हारून निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी



कि अभियुक्तों 1.नबाब, 2.इरफान, 3.रिजवान, 4. इमरान पुत्रगण यामीन, 5.अमन पुत्र फरमान, 6.राहुल पुत्र उस्मान, 7.सुफियान पुत्र उस्मान, 8.फैज पुत्र नबाब निवासीगण सर्कुलर रोड कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नीयत से उसके व उसके परिजनों के साथ मारपीट की गयी, जिससे उसके पिता हारून की मौके पर ही मृत्यु हो गयी व अन्य परिजन गम्भीर रूप से घायल हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 772/25 धारा 191(2)/191(3)/105/110/352/3(5) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 772/25 धारा 191(2)/191(3)/105/110/352/3(5) बी.एन.एस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नबाब पुत्र यामीन निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-इरफान पुत्र यामीन निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार चाहल थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 सुरेश कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 संजीव कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 विजयपाल थाना बड़ौत जनपद बागपत।



BAGHPAT POLICE

थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर सेल, जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति के गलती से दूसरे व्यक्ति के खाते में भेजे गये सम्पूर्ण धनराशि **88,000/- रुपये** वापस कराये गये—

पीड़ित बलवीर पुत्र इन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट सैसड़ा थाना पादूकला जनपद नागौर राजस्थान हाल पता अम्बे एग्रो फूड्स लिमिटेड निकट पाठशाला थाना खेकडा जनपद बागपत के साथ ऑनलाइन 88,000 रुपये की धोखाधड़ी होने के सम्बन्ध में NCRP पोर्टल पर **ACKNOWLEDGEMENT** नं 033110250136620 शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत प्राप्त होने पर थाना



खेकडा साइबर सेल टीम प्रभारी उ0नि0 श्री नितिन कुमार द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीड़ित के बैंक खाते से ऑनलाइन फ्रॉड से कटी सम्पूर्ण धनराशि 88,000 रुपयों को वापस कराया गया।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा थाना खेकडा पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना खेकडा	33110250136620	88,000/-



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 04.12.2025

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मंयक पुत्र दीपक निवासी न्यू राम नगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2- अर्पित पुत्र अजीत सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3- मोनू पुत्र धनसिंह निवासी लौहड़डा थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-जोनी पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी वाजिदपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना बड़ौत पुलिस टीम । (02 वारंटी)
- 2-थाना बिनौली पुलिस टीम । (02 वारंटी)